समाहरणालय, सीतामढ़ी।
(जिला राजस्व प्रशाखा)
—:: अल्पकालीन निविदा सूचना ::—

सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत 17 अंचलों में जमाबंदी पंजी—02 एवं सर्वे खतियान के स्कैनिंग हेतु एजेंसी एवं दर का निर्धारण निम्न प्रकार के कार्य कम्प्यूटर से कराने हेतु मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित किया जाता है :—

1. ज्माबंदी पंजी—2 का स्कैनिंग (17 अंचल से संबंधित सभी जमाबंदी पंजी का)
2. सर्वे खतियान का स्कैनिंग (सभी राजस्व थाना का)
3. स्कैनिंग के पश्चात् ऑन लाईन प्रकाशन
4. स्कैनिंग के पश्चात् सर्वे खतियान एवं पंजी—2 की चार—चार प्रतियाँ हार्ड कापी में तैयार किया जायेगा।

इच्छुक निविदादाता तकनीकि एवं वित्तीय निविदा दो अलग—अलग बंद लिफाफों में निम्नलिखित शर्त्तो के साथ दिनांक 24.03.2015 को 02:00 अपराह्न तक अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के कार्यालय में दे सकते हैं।

सभी निविदा दिनांक 24.03.2015 को 4:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा के संबंध में विशेष जानकारी हेतु जिला राजस्व प्रशाखा, सीतामढ़ी से किसी भी कार्य दिवस को सम्पर्क किया जा सकता है कोई भी निविदा निर्धारित तिथि के पश्चात स्वीकार नहीं किया जायेगा।

तकनीकि निविदा में सफल संवेदको की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

(क) तकनीकि शर्ते :—

1. निविदाताओं को आयकर विभाग एवं वैट का निबंधन होना एवं निबंधित कार्यालय बिहार राज्य का होना अनिवार्य है। साथ ही, अद्यतन कर शोधन प्रमाण—पत्र की प्रति संलग्न करना होगा। निविदादाता का वार्षिक आय—व्यय एक करोड़ रूपये एवं उससे अधिक का होना चाहिए।
2. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0 10,000/— (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट मूल में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पदनाम से संलग्न करना होगा।
3. इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुभव/कार्यादेश की प्रति संलग्न की जाय।
4. निविदादाता को निविदा के साथ उनका प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज कहीं है, से संबंधित प्रमाण देना आवश्यक होगा।
5. निविदादाता को शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा व्यवहृत सभी Operating System Licensed/ Legal authorized है।
6. स्कैनिंग Book Scanner with a speed of 10 PPM के माध्यम से किया जाना है।
7. निविदादाता को Book Scanner with a speed of 10 PPM का उपयोग कर स्कैनिंग का कार्य करना होगा एवं उक्त कार्यो में प्रयुक्त किये जाने वाले Generator, UPS Server /computer की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
8. निविदादाता को तकनीकि क्षमता एवं उनके पास उपलब्ध साधनों (Pool Source) का विवरण यथाः— कम्प्यूटर सेट, यू0पी0एस0, डिजिटल प्रिंटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या, स्टाफ की संख्या, जेनरेटर, स्कैनिंग एवं प्रिंट आउट निकालने की क्षमता आदि तथा सही—सही किये गये कार्यों को दैनिक प्रतिवेदन में अंकित करना होगा। निविदा में अंकित विवरणी उक्त के अनुरूप नहीं पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
9. निविदादाता को लेजर प्रिंटिंग हेतु Original Tonner तथा Legal/A3 Size Cxcutive Bond 80/75 gsm Paper का ही उपयोग करना होगा।

10. सभी कार्यों को जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर समाप्त करना अनिवार्य होगा।
11. निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन 1000/-(एक हजार) रूपये दण्ड स्वरूप समर्पित विपत्र के माध्यम से जमा करना पड़ेगा। साथ हीं अग्रधन की राशि जप्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दी जायेगी।
12. किसी भी परिस्थिति में Sub-Contracting स्वीकार नहीं होगा। इसकी जानकारी मिलने पर एकरारनामा रद्द करते हुए निबंधित फर्म के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
13. Book Scanner with a speed of 10 PPM एवं अन्य किसी तकनीकि जानकारी हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सीतामढ़ी से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
14. Book Scanner with a speed of 10 PPM का कार्य जिला मुख्यालय में सभी 17 अंचलों को अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सीतामढ़ी सदर,पुपरी, एवं बेलसंड तथा जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।
15. आवश्यकतानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य का स्थल परिवर्त्तन किया जा सकता है, जो निविदादाता को बिना अतिरिक्त भुगतान के मान्य होगा।
16. अस्थायी विद्युतीकरण हेतु जेनरेटर की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के खर्च पर रखना होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
17. राजस्व विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में विभिन्न कार्यों के लिए समय सीमा पुनरीक्षित किया जा सकता है। तदनुसार निर्गत आदेश के अनुरूप कार्य समाप्त करना होगा।

(ख) वित्तीय शर्तें :-

1. स्कैनिंग एवं हार्ड कॉपी की प्रिंटिंग दर Legal/A3 Size Cxcutive Bond 80/75 gsm Paper पर मुद्रण (कागज सहित) संबंधित निविदादाता द्वारा दिया जायेगा। (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक 1915/रा0, दिनांक 18.12.2014)

(ख) सामान्य शर्त्त :-

1. संदर्भित एवं समय सीमा की बाध्यता के मद्देनजर न्यूनतम दर पर कार्य का वितरण एक से अधिक निविदादाताओं के बीच आवंटित किया जा सकता है। निविदादाता के संयुक्त कार्य का आदेश जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पास सुरक्षित रहेगा।
2. चयनित एजेंसी को, जो भी सरकारी कागजात यथा पंजी-2, सर्वे खतियान आदि स्कैनिंग के लिए दी जायेगी, उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, जबतक कि स्कैनिंग के पश्चात् मूल पंजी अंचल कार्यालय एवं जिला अभिलेखागार को वापस न कर दिया जायेगा।
3. किसी प्रकार का अग्रिम निविदादाता को देय नहीं होगा। आवंटन विभाग से प्राप्त होने पर ही देय राशि का भुगतान किया जायेगा। इस कारण भुगतान में विलम्ब होने पर कोई भी सूद की राशि देय नहीं होगा।
4. कार्यावंटन से पूर्व राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर एकरारनामा पर हस्ताक्षर करना होगा।
5. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
6. निविदा में बिना किसी कारण संशोधन करने, स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
7. फर्म का चयन उनकी तकनीकि दक्षता, न्यूनतम दर एवं निगोशियेशन के आधार पर किया जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिए कटिहार जिले के वेबसाई http://.sitamarhi.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

समाहर्त्ता,
सीतामढ़ी।